छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 263/2006</u>

श्री गोपाल प्रसाद साहू .... अपीलार्थी
दिनेश किराना दूकान के पास,
मठपारा, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

श्री एस.के. जायसवाल .... प्रतिअपीलार्थी
जन सूचना अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर, रायपुर (छ.ग.)

श्री के.के. बख्शी .... प्रतिअपीलार्थी
दिनांक 05.04.06 को प्रभारी जन
सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,
रायपुर (छ.ग.)

श्री सुबोध कुमार सिंह, ... प्रतिअपीलार्थी
कलेक्टर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(11 सितम्बर 2006)

श्री गोपाल प्रसाद साहू निवासी रायपुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी कलेक्टर, जिला–रायपुर के आदेश दिनांक 17 मार्च 2006 से असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने दिनांक 16.12.05 को सूचना अधिकारी कलेक्टरेट जिला रायपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कि 7 बिंदुओं पर जानकारी चाही गई। दिनांक 12.01.06 को जन सूचना अधिकारी, रायपुर ने बिंदु क्रमांक 1 की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना तथा बिंदु क्रं. 2 एवं 3 विधि से संबंधित होने तथा बिंदु क्रं. 6 एवं 7 शासन से संबंधित होने की सूचना अपीलार्थी को दी। बिन्दु क्रं. 4 एवं 5 के संबंध में रू. 6/– चालान द्वारा जमा करने के लिए अपीलार्थी को सूचित किया गया। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कलेक्टर, रायपुर को अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर रायपुर ने बिंदु क्रं. 6 एवं 7 का कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं मानकर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई।

3. प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी सभी प्रतिअपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए। उन्होंने अवगत कराया कि पूर्व पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की जांच नस्ती कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रही है अतः उसकी छायाप्रति उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अपीलार्थी को भी दिनांक 13.01.06 को संबंधित नस्ती कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने की सूचना दी गई। तर्क के समय अपीलार्थी ने बतलाया कि जानबुझकर उसे

सूचना नहीं दी जा रही है तथा संबंधित नस्ती सूचना कार्यालय में पूर्व में थी, बाद में नष्ट कर दी गई। सूचना अधिकारी ने बतलाया कि नस्ती वित्त शाखा, कलेक्टरेट कार्यालय में गई थी उसके बाद नस्ती प्राप्त नहीं हुई। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्को को मेरे द्वारा सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का भी अवलोकन किया गया। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 16.12.05 के अनुसार अन्य जानकारी के साथ–साथ श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पूर्व अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच प्रतिवेदन की प्रति तथा जांच अधिकारी का पद नाम आदि चाहा था एवं यही नस्ती जिला कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 16.12.05 को ही एक पृथक आवेदन पत्र में पुराने मध्यप्रदेश राज्य के महाकौशल क्षेत्र में मालगुजारी उन्मूलन किस दिनांक, किस अधिसूचना द्वारा प्रभावित हुआ, उसकी प्रति, मालगुजारी उन्मूलन के पश्चात् पटवारी अभिलेखों में आबादी एवं प्रचलित आबादी के रिक्त भूखंडो में विधि के अनुसार किसका स्वामित्व है, रायपुर तहसील के ग्राम मठपुरैना के खसर नं. 10 को नगर पालिका रायपुर में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रसारित अधिसूचना राजस्व पुस्तक परिपत्र में अभिलिखित नजूल एवं आबादी की परिभाषा आदि की जानकारी चाही थी। जिस संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया गया कि बिन्दु क्रं 1 की अधिसूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। बिन्दु कं. 2 एवं 3 विधि से संबंधित हैं। बिन्दु क्रं. 4 एवं 5 के लिए उससे अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए कहा गया। बहस में अपीलार्थी के द्वारा मुख्य रूप से तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि दिये जाने हेतु आग्रह किया गया, जिससे संबंधित जन सूचना अधिकारी ने कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बतलाया। अपीलार्थी ने तर्क के समय यह बतलाया कि जानबुझकर उक्त नस्ती गायब होना बतलाया जा रहा है क्योंकि यह तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री अशोक अग्रवाल की शिकायत से संबंधित है।

4. स्वयं जन सूचना अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि नस्ती कलेक्टरेट की वित्त शाखा के पास लंबित थी। अतः उस नस्ती को ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। कार्यालयीन अभिलेख यदि गायब हैं तो उसके लिए उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए। केवल यह तर्क दिया जाना कि नस्ती उपलब्ध नहीं हो रही है, अपीलार्थी को अभिलेख प्रदान न करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अभिलेखों को संरक्षित रूप से रखे जाने की जवाबदारी नियमानुसार प्रतिपादित की जानी चाहिए। अतः यह आवश्यक है कि संबंधित नस्ती को खोजने का प्रयास किया जावे और नहीं मिलने पर उसे पुनः तैयार किया जावे तथा अपीलार्थी को जानकारी दी जावे। कलेक्टर एवं अपीलीय अधिकारी का यह दायित्व है कि वे अपने कार्यालय की नस्तियों के संधारण के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण करें तथा संबंधित नस्ती एक माह के अंदर खोजकर अपीलार्थी को वांछित प्रतियां प्रदान की जावें। यदि नस्ती एक माह के अंदर उपलब्ध नहीं होती है तो नस्ती को पुर्नगठित कर अपीलार्थी को जानकारी दी जावे।

5. उक्त निर्देश के साथ यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)